

SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

Works :
Basti Road, P.O. Barajamda
Dist. West Singhbhum
Jharkhand - 833221

CIN - U28133RJ2008PLC025821

Contact :
+91 62008 26505
+91 62008 26508
+91 98307 96220

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चाईबासा वन प्रमंडल,
चाईबासा ।

विषय:- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लि० द्वारा स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय पत्रांक 576 दिनांक 07.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति / निराकरण प्रतिवेदन
निम्नवत् समर्पित है :-

1. पृच्छा संख्या - 1 में राज्य सरकार द्वारा 1.66 हे० भू-खण्ड प्रयोक्ता अभिकरण को किस आदेश/दिनांक द्वारा दिया गया है ।

हमारी कम्पनी द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के नोवामुण्डी अंचल अन्तर्गत मौजा - बड़ाजामदा, खाता न० 05, में 19.41 एकड़ भूमि कम्पनी के पक्ष में बन्दोवस्ती हेतु प्रस्ताव दिनांक 01.04.2005 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में समर्पित किया गया था । उक्त प्रस्तावित भूमि 19.41 एकड़ में से मात्र 6.48 एकड़ भूमि लीज बन्दोवस्ती हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञाप संख्या 134 दिनांक 09.03.2006 (छायाप्रति संलग्न; अनु० - 1) द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में हमारी कम्पनी द्वारा 6.48 एकड़ की कुल सलामी राशि 37,26,163/- (सैंतीस लाख छब्बीस हजार एक सौ तिरसठ) रूपए का 80 प्रतिशत राशि अर्थात 29,80,930/- (उनतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ तीस) रूपए निदेशानुसार कोषागार चालान दिनांक 11.07.2006 एवं 31.07.2006 द्वारा जमा की गई (छायाप्रति संलग्न; अनु० - 2) । तदोपरान्त उक्त 6.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती किये जाने के पूर्व जाँच के क्रम में 4.00 एकड़ भूमि का खतियान में किस्म जंगल-झाड़ पाये जाने की स्थिति में मात्र 2.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती की स्वीकृति उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 875(B)/र दिनांक 23.08.2007 (छायाप्रति संलग्न; अनु० - 3) द्वारा हमारी कम्पनी के पक्ष में 30(तीस) वर्षों अर्थात दिनांक 17.12.2007 से 16.12.2037 तक के लिए प्रदान की गयी । शेष 4.00 एकड़ भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी होने के कारण वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति की अनुशंसा की गई । पुनः उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा FRA के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु ग्राम सभा आयोजित किये जाने के क्रम में जाँचोपरान्त 0.11 एकड़ भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी पाई गई ।

इस प्रकार प्रस्तावित 6.48 एकड़ भूमि में से 4.00 एकड़ एवं 0.11 एकड़ कुल 4.11 एकड़ अर्थात् 1.66 हे० जंगल-झाड़ी भूमि के लिए उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के क्रमशः पत्रांक 663 (B)/र दिनांक 12.07.2007 एवं ज्ञापांक 378 (A) दिनांक 28.12.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है । (छायाप्रति संलग्न; अनु० - 4 एवं 5)

2. पृच्छा संख्या - 3 में राजस्व वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा आज दिनांक तक की गई कार्रवाई की विवरण की मांग की गई है ।

उक्त 6.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती किये जाने के पूर्व जाँच के क्रम में 4.00 एकड़ भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी पाये जाने के पश्चात् उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 663(B)/र दिनांक 12.07.2007 के आलोक में भवदीय कार्यालय पत्रांक 1685 दिनांक 02.08.2007 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार हमारी कम्पनी द्वारा दिनांक 16.08.2007 को उक्त जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव 10(दस) प्रतियों में भवदीय कार्यालय में समर्पित किया गया था। उक्त समर्पित प्रस्ताव के संबंध में भवदीय कार्यालय पत्रांक 1832 दिनांक 21.08.2007 (छायाप्रति संलग्न; अनु० - 6) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई । उन पृच्छाओं यथा; समतुल्य क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर-वनभूमि की उपलब्धता एवं उसकी उपयुक्ता आदि के निराकरण में निरन्तर प्रयास के बावजूद कुछ कारणों से अत्यधिक विलम्ब हो गया । इसी बीच भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों में संशोधित करते हुए वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव Parivesh Portal पर upload किये जाने का प्रावधान किया गया ।


तदोपरान्त हमारी कम्पनी द्वारा उक्त 1.66 हे० भूमि (जंगल-झाड़ी) के अपयोजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधान के तहत पुनः दिनांक 19.11.2019 को प्रस्ताव Parivesh Portal पर upload किया गया । उक्त प्रस्ताव पर भवदीय के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की गई है ।

भवदीय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों / निराकरण के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे ।

सधन्यवाद,

अनुग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

 01/05/2025
श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत

(3)

अनु-1

BIPL, Jaipur
 Date of R 17/8/2012
 जाप संख्या - 134/रा0

उपरोक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
 (राजस्व शाखा)

दिनांक - 9/3/12

प्रेषित

मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
 48 इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवारा
 जयपुर, 302012 राजस्थान (भारत)

नोवामुण्ड्री अंचल अन्तर्गत मौज बड़ाजामदा, थाना नं० 774, खाता नं० 05, रकबा 19.41 (उन्नीस एकड़ एकतालिस डिसमिल) भूमि की लीज बन्दोवस्ती अपनी संस्था के साथ करने का प्रस्ताव आपके द्वारा समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तावित भूमि में से कुल 6.48 एकड़ (छः एकड़ अड़तालिस डिसमिल) भूमि की लीज बन्दोवस्ती प्रस्ताव अनुमण्डल मदाधिकारी से प्राप्त हुआ है, जिसकी सालानी राशि 37,26,163 (सैंतीस लाख छववीस हजार एक सौ तिरसठ) रुपये निर्धारित की गई है।

अनुरोध है कृपया उक्त राशि का 80 प्रतिशत राशि कुल 29,80,930 (उन्नीस लाख अस्सी हजार नौ सौ तीस) रुपये शीर्ष 0029 भू-राजस्व, लघु शीर्ष 101 नगद तहसील कचहरी मद में कोषागार चालान द्वारा जमा कर मूल चालान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल करने का कष्ट करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

17/8/12

अपर उपरोक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Surabhi

Form No. 141-2240807

31.7.2006

5

मनु-देव 14 (क)
Para 14 (a)

खोये हुए/गुमशुदा चालान के स्थान पर प्रमाण पत्र
CERTIFICATE IN LIEU OF LOST/MISPLACED CHALLAN

प्रमाणित किया जाता है कि शाखा द्वारा
..... वर्ष शीर्ष के अन्तर्गत
केन्द्रीय सरकारी लेखा से कमा राशि हेतु रक्षा/रेलवे/अक/दूर संचार विभाग के नामित सरकारी प्राधिकारी
की ओर से रु रूप से केवल
की एक राशि प्राप्त की गई थी। राशि रु के अन्तर्गत
..... दिनांक के चालान से सम्मिलित की गई है।

Certified that a sum of Rs-25,00,000-00 (Rupees Twenty five lac only) was received from m/s Balaji Industrial Products Ltd. designated govt authority of Defence/Railways/Posts/Telecommunications on account of Salami of Peace Settlement for credit to State Government account under the head 2001 (0029) on 19.04.06 by State Bank of India, Chaibasa branch. The amount has been included in the scroll dated 19.04.06 at Sr. No. 013001

दिनांक :
Date : 31.07.2006



[Signature]
शाखा प्रबन्धक
Branch Manager

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
CHAIBASA Branch

अनु. - 2

(4)

under Rs. 4,80,931/00 (Four Lakhs eighty thousand nine hundred thirty one) only.

Original

चालान बावत नगद रूपया जो मुकाम

चालान नं०

CHAI BASTA

के निज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाखिल किया जाय।

| किसाने दाखिल किया | नाम या रसीदों और पत्रों के लिए जिम्मेदार से रूपये दाखिल किया जाय | भेजे जाने वाले रूपये का और हुकम का अफसर कोई है या नही | रकम | हिसाब का मद | जिसके द्वारा समयोजित की जायेगी | बैंक का हुकम |
|-------------------|--|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | M/s Balaji Industrial Products Limited Baxajamde, Singhapur West, Shashikhand. | Fox Land Lease | 4,80,930/00 | शिव 0029 ग-शास्त्र व्युत्पि 101 | | |

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रूपया भेजे जाने का हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

X तबजों में रूपया Rs. Four Lakhs eighty thousand nine hundred

रूपया मिला।

thirty only.

ट्रेजरर.....

एकाउन्टेन्ट.....

तारीख.....

ट्रेजरी अफसर/एजेन्ट.....

नोट 1) ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रूपये की हालत 500 रूपये से कम की रकम के लिए रसीद पर ट्रेजरी अफसर की दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है लेकिन सर्विस स्टॉप के लिए दिए हुए नगद रूपयों और चेकों के लिए रसीद पर हनेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए। एस०आर० 3। नोट 2) दाखिल किए गए रकमों का व्योरा पुरतक पर दिया जाना चाहिए नोट 3) उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में अमानत करने का ईजाजत है वहाँ हिसाब का 'मद' वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से जैसी हालत हो बैंक का रोजाना फर्द के पाने पर भरा जायगा।

अनु. - 3

(22)

उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय
(राजस्व शाखा)

पत्रांक: 275 (15) /रा


दिनांक: 23 08-2007

श्री बालाजी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
जयपुर, बड़ाजामदा, प० सिंहभूम।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा बड़ाजामदा, थाना नं. 774, खाता नं. 06 प्लॉट नं. क्रमशः 2218, 2223, 2228, 2298, 2305, 2301, 2302 एवं 2300 कुल रकवा 2.48 एकड़ जमीन पर जमा राशि के शर्त पर अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए उपायुक्त प. सिंहभूम, चाईबासा ने स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में एकरारनामा हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन



अपर उपायुक्त
प. सिंहभूम, चाईबासा

(10)

अनु-4

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(राजस्व शाखा)

पत्रांक - 663 वी/रु

दिनांक 12-7-07

प्रेषक :
उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
दक्षिण क्षेत्र चाईबासा।

विषय : नौबामुण्डी अंचल अर्न्तगत सर्व श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि० द्वारा अधियानि बड़ा जामदा मौजा में 4.00 एकड़ अनावाद भूमि के अनापत्ति के समबंध में।
प्रसंग : आपका पत्रांक 405, दिनांक 14.02.07 एवं 611 दिनांक 8.03.07

महाराज्य,

प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करें। सर्व श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट बड़ा जामदा को 4.00 एकड़ भूमि का गैरवाणिज्यीक प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल किया जाता है :

| मौजा | खाता नं. | आसामि का नाम | खेसरा नं. | किस्म जमीन | रकबा |
|------------|----------|--------------|-----------|------------|------|
| बड़ा जामदा | 05 | अनावाद मालिक | 2243 | जंगल-झाड़ी | 4.00 |

अतः अनुरोध है कि अग्रसर कार्यवाई करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि मैसर्स बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि० बड़ा जामदा के नाम से विषयगत भूमि का पट्टा निर्गत किया जा सके।

विश्वासभाजन

M. P. Singh
उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।



35-5

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।
(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कि अब श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, के द्वारा नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा-बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता संख्या-05 अन्तर्गत विभिन्न प्लॉटों के अन्दर कुल रकवा- 33.21 एकड़ भूमि आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु लीज बन्दोवस्ती के लिये आवेदन दिया गया था। उक्त के आलोक में मात्र 6.48 एकड़ भूमि चिन्हित कर कुल 2.48 एकड़ भूमि का लीज बन्दोवस्ती प्राप्त है। शेष 4.00 एकड़ भूमि खतियान में किस्म जमीन जंगल-झाड़ी दर्ज रहने के कारण कम्पनी के पत्रांक शून्य दिनांक 03.08.2015 के द्वारा अनापत्ति की मांग की गई है। उक्त के आलोक में नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा- बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-2243, रकवा-4.00 एकड़ किस्म जंगल-झाड़ी अनाबाद मालिक भूमि पर रॉ मटेरियल भंडारण हेतु विभागीय पत्रांक-1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के आलोक में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक-669(बी)/रा० दिनांक-31.08.2015 के द्वारा अनापत्ति दी गई है।

वर्तमान में उप परामर्शी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2097/व०प० दिनांक-26.07.2022 के द्वारा मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड से स्पंज आयरन प्लांट हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी (4.11 एकड़) भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गई है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा अवशेष 0.11 एकड़ किस्म जमीन जंगल-झाड़ी अनाबाद मालिक झारखण्ड सरकार भूमि का अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के पत्रांक-596 दिनांक-03.12.2022 के द्वारा आवेदित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक-1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के कडिका-2 में निहित प्रावधान के अनुसार एक परियोजना के अन्तर्गत अधिकतम 25.00 (पच्चीस) एकड़ तक भूमि का गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है।

"गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो रॉ मटेरियल भंडारण हेतु मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा आवेदित है तथा जंगल-झाड़ी भूमि है, की विवरणी निम्नवत् है -

| क्र० | अंचल का नाम | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा (एकड़ में) | किस्म |
|------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|
| 1 | नोवामुण्डी | बड़ाजामदा | 774 | 05 | 2243 | 0.11 | जंगल-झाड़ी |

उपरोक्त के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

गैर मजरूआ (Deemed Forest) भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

दृष्ट

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक- 378 (4)

दिनांक- 28.12.2022

प्रतिलिपि- श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीरियरिंग, बस्ती रोड, बड़ाजामदा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/22

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

| क्र.सं. | विवरण | अंश | अंश | अंश | अंश | अंश | अंश |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

1/3

...

3/15/07-6

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिण वन प्रमण्डल ।

पत्रांक 1832/दिनांक 21.8.07

सेवा में,

सर्वश्री बालाजी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट लि०
वरती रोड, बडाजामदा
जिला-प० सिंहभूम, (आरखण्ड)।

विषय:- 400 एकड गैरमजरूआ जंगल झाडी भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु
अप्रयोजन के संबध में।

पराग:- आपका पत्रांक शुन्य दिनांक 16.8.2007

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा
उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव त्रुटियुक्त है। अनुरोध है निम्नलिखित त्रुटियों का निराकरण करते हुए
संशोधित प्रस्ताव शीघ्र समर्पित की जाय जिसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

1. प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में मात्र आवेदित क्षेत्र दर्शाया गया है पूर्ण परियोजना से संबधित
क्षेत्र नहीं दर्शायी गयी है।
2. परियोजना से संबधित गैर वन भूमि की विवरणी एवं खतियान उपलब्ध नहीं करायी गयी है
तथा आवेदित जंगल झाडी भूमि से संबधित खतियान संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ आवेदित भूमि संबधित मूल टोपो शीट संलग्न नहीं है।
4. सुरक्षा पट्टी से संबधित नक्शा एवं आकलित क्षेत्रफल त्रुटियुक्त है।
5. लागत-लाभ विशलेषण त्रुटियुक्त संलग्न की गयी है।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुलग्नकों पर अनुलग्नक संख्या अंकित नहीं है एवं संलग्न
अनुलग्नकों को प्रमाण पत्र/अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है।
7. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल से संबधित पूर्ण विवरणी अपेक्षित है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में नौ प्रतियों में इस पत्र के साथ
संलग्न वापस की जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा दक्षिण वन प्रमण्डल

21/8/07